भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश

प्राक्कथन

भारत सरकार ने दिसम्बर, 2002 में आई आई टी/आई आई एम सहित सुस्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक नीति अनुमोदित की ।

इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और सरकार ने अब विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर सिविल सोसायटी द्वारा और अधिक भागीदारी की अनुमति देने के उद्देश्य से सिविल सोसायटी और स्वैच्छिक संगठनों जैसे 'गैर-लाभकारी' संगठनों को अपने सीमा-क्षेत्र के अंतर्गत लाकर इस नीति को विस्तृत करने का निर्णय लिया है ।

1. मूल सिद्धांत

एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन को संचालित करने के इच्छुक एक संगठन को निम्नलिखित सिद्धांतों को पूरा करना और इनका अनुपालन करना होगा :-

(क) *इसे स्पष्ट रूप से एक 'गैर-लाभकारी' संगठन के रूप में गठित होना चाहिए और इसके पास स्थानीय समुदाय में कम से कम तीन वर्षों की सेवा करने का प्रमाणित रिकॉर्ड होना चाहिए ।*

(ख) *इसके द्वारा संचालित किए जाने वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सी आर एस) को एक विशिष्ट सु-परिभाषित स्थानीय समुदाय की सेवा करने के लिए अभिकल्पित होना चाहिए ।*

(ग) *इसका एक स्वामित्व और प्रबंधन ढ़ांचा होना चाहिए जिसमें वह समुदाय प्रतिबिंबित हो जिसकी सेवा सी आर एस करना चाहता है ।*

(घ) *प्रसारण हेतु कार्यक्रम समुदाय की शैक्षिक, विकासात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के दृष्टिकोण से संगत होने चाहिए ।*

(ङ.) *इसे एक विधिक कंपनी होना चाहिए अर्थात् इसे पंजीकृत होना चाहिए (समिति पंजीकरण अधिनियम अथवा इस प्रयोजन से संबद्ध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के तहत) ।*

2. पात्रता मानदंड

(i) *सामुदायिक रेडियो लाइसेंसों के लिए निम्नलिखित प्रकार के संगठन आवेदन करने के पात्र होंगे :-*

(क) सामुदायिक आधारित संगठन जो उपरोक्त पैरा-1 में सुचीबद्ध मूल सिद्धांतों को पूरा करते हों । इसमें सिविल सोसायटी और स्वैच्छिक संगठन,राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.) आई.सी.ए. संस्थाएं, विज्ञान केन्द्र, पंजीकृत सोसायटी, सोसायटी

अधिनियम अथवा इस प्रयोजन से संबंद्ध ऐसे कोई अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय और लोक न्यास शामिल होंगे । आवेदन के समय पंजीकरण को कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए ।

(ख) *शैक्षिक संस्थाएं*

(ii) *एस सी आर एस को चलाने के लिए निम्नलिखित पात्र नहीं होंगे:*

(क) *व्यष्टि;*

(ख) *राजनीतिक दल और उनके संबद्ध संगठन;* (छात्र व महिला संगठनों, व्यापार संघों और इन पक्षकारों से संबंद्ध ऐसे अन्य स्कंधों सहित)

(ग) *लाभ कमाने के उद्देश्य से परिचालित होने वाले संगठन;*

(घ) *संघ और राज्य सरकारों द्वारा स्पष्टतः प्रतिबंधित संगठन*

3. **आवेदन पत्रों की चयन प्रक्रिया और प्रक्रमण**

(क) *सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु एक राष्ट्रीय विज्ञापन के जरिए वर्ष में एक बार आवेदन मंगवाए जाएंगे । तथापि, पात्र संगठन और शैक्षिक संस्थाएं दो विज्ञापनों के बीच में मध्यवर्ती अवधि के दौरान भी आवेदन कर सकते हैं ।* आवेदकों को 2500 रूपये के प्रक्रमण शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक होगा और आवेदनों पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(i) विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिए मामलों को सचिव (*सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति* के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करके एकल स्थल अनुमति की व्यवस्था होगी । गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा । एक बार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की डब्ल्यू पी.सी. विंग द्वारा आवेदित स्थल पर आवृत्ति उद्दिष्ट किए जाने के पश्चात् एक आशय-पत्र जारी किया जाएगा ।

(ii) निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित अन्य सभी आवेदनों के मामले में गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (निजी शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में) से अनुमति प्राप्त होने तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डब्ल्यू पी.सी. विंग द्वारा आवृत्ति आबंटन प्राप्त होने पर ही आशय पत्र जारी किया जाएगा ।

(ख) अनुमति प्राप्त करने के लिए समय सारिणी निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :-

(i) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने से एक माह के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय आवेदन पर कार्रवाई करेगा और आवेदक को कमियों से, यदि कोई हो, अवगत कराएगा अथवा उपर्युक्त क (i) और क (ii) में यथानिर्धारित अनुमति हेतु, यथा-स्थितिनुसार अन्य मंत्रालयों को आवेदन की प्रतियां भेजेगा ।

(ii) संबंधित मंत्रालय आवेदन प्राप्त होने के तीन माह के भीतर अपनी अनुमति से अवगत कराएंगे । तथापि, तीन माह की निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान करने में विफल रहने पर उस मामले को आशय-पत्र जारी करने संबंधी निर्णय लेने के लिए सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ भेजा जाएगा ।

(iii) किसी स्थान पर एकल आवृत्ति हेतु एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में सफल आवेदक को समुदाय में उसकी स्थिति, प्रदर्शित प्रतिबद्धता, प्रतिपादित उद्देश्यों और आवेदक संगठन द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधनों तथा उसके प्रत्यय पत्रों और संगठन द्वारा की जाने वाली सामुदायिक सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदकों में से आशय-पत्र जारी करने के लिए चुना जाएगा ।

(iv) आशय-पत्र जारी होने से एक माह के भीतर पात्र आवेदक को.एस.ए.सी.एफ.ए. अनुमति हेतु संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन , नई दिल्ली के डब्ल्यू पी.सी. विंग के पास निर्धारित प्रपत्र में और अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा ।

(v) एस.ए.सी.एफ.ए. अनुमति जारी करने के लिए आवेदन करने की तारीख से छह माह की समय-सीमा निर्धारित है । छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ऐसी अनुमति प्राप्त न होने की स्थिति में इस मामले को निर्णय हेतु सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ भेजा जाएगा ।

(vi) एस.ए.सी.एफ.ए अनुमति (जिसकी एक प्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी) प्राप्त होने पर आशय-पत्र धारक निर्धारित प्रपत्र में 25000 रूपये की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा । इसके फलस्वरूप आशय-पत्र धारक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति मंजूरी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए

आवेदित किया जाएगा जिससे वह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डब्ल्यू.पी.सी. विंग से बेतार परिचालन लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा । सामुदायिक रेडियो स्टेशन को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बेतार परिचालन लाइसेंस प्राप्त हो जाने पर ही परिचालित किया जा सकता है ।

(vii) सभी अनुमतियों के प्राप्त होने से तीन माह के भीतर अनुमतिधारक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना करेगा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रारंभ करने की तारीख से अवगत कराएगा ।

(viii) उपर्युक्त निर्धारित समय-सारिणी का अनुपालन करने में विफल रहने पर आशय-पत्र/अनुमति मंजूरी करार धारक का आशय-पत्र/ अनुमति करार निरस्त किया जा सकता है और बैंक प्रत्याभूति को जब्त किया जा सकता है ।

4. अनुमति मंजूरी करार करार की शर्तें

(i) अनुमति मंजूरी करार *अवधि पांच वर्षों की होगी ।*

(ii) अनुमति मंजूरी करार और अनुमति पत्र *गैर-अंतरणीय होगा ।*

(iii) *लाइसेंसधारक पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा । तथापि, लाइसेंसधारक द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डब्ल्यू.पी.सी.स्कंध को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा ।*

(iv) *यदि लाइसेंसधारक सभी अनापत्ति प्रमाणपत्रों की प्राप्ति से तीन माह के अन्दर अपना प्रसारण परिचालन शुरू नहीं करता है अथवा परिचालन के शुरू होने के पश्चात् 3 माह से अधिक के लिए प्रसारण क्रियाकलाप बंद कर देता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और आवृत्ति अगले पात्र आवेदक को आबंटित कर दी जाएगी ।*

(v) *एक आवेदक/संगठन को एक या अधिक स्थाना पर* सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संचालन हेतु एक से अधिक अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ।

(vi) अनुमति करार के यथासमय कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आशय पत्र धारक को 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) की राशि की एक बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करनी होगी ।

(vii) यदि अनुमति धारक निर्धारित अवधि के भीतर अपनी सेवा शुरू करने में असफल रहता है तो सरकार उसकी बैंक प्रत्याभूति की राशि को जब्त कर लेगी और अनुमति धारक को दी गयी अनुमति को रद्द करने के लिए स्वतन्त्र होगी ।

5. विषय वस्तु विनियमन और अनुवीक्षण

(i) *यह कार्यक्रम समुदाय के लिए तत्काल प्रासंगिकता वाला होगा । इसमें विकासात्मक, कृषि, स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यावरणीय, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बल दिया जाना चाहिए । कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय के विशेष हित और आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए ।*

(ii) *विषय-वस्तु का कम से कम 50% भाग स्थानीय समुदाय द्वारा तैयार किया गया होना चाहिए जिसके लिए स्टेशन स्थापित कर दिया गया है ।*

(iii) *कार्यक्रमों को मुख्यतया स्थानीय भाषा और बोली (बोलियों) में होना चाहिए ।*

(iv) अनुमति धारक को आकाशवाणी द्वारा *निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा ।*

(v) अनुमतिधारक *सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सी आर एस) द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रमों को प्रसारण की तिथि से तीन माह के लिए सुरक्षित रखेगा ।*

(vi) अनुमति धारक *ऐसे कार्यक्रम प्रसारित नहीं करेगा जो समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित हों और अन्यथा प्रकृति में राजनीतिक हों ।*

(vii) *लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसारित कार्यक्रम में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है जो/जिसमें:*

क. *सुरूचि या शालीनता को ठेस पहुंचाता हो;*

ख. *मित्र देशों की आलोचना करता हो;*

ग. *धर्मों या समुदायों पर आघात करता हो अथवा जिसमें धार्मिक समूहों के विरूद्ध दृश्य या तिरस्कारपूर्ण शब्द हों, अथवा सांप्रदायिक असंतोष या असामंजस्य को बढ़ावा देता हो या इसमें परिणत होता हो;*

घ. *अश्लीलता, मानहानिकारक, जानबूझकर बोला गया झूठ और उद्दीपक व्यंग्य और अर्धसत्य हो ;*

छ. हिंसा को भड़काता या प्रोत्साहित करता हो अथवा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के खिलाफ हो या जो राष्ट्र-विरोधी रवैये को बढ़ावा देता हो;

च. ऐसा कुछ न हो जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो अथवा राष्ट्र की अखंडता प्रभावित होती हो;

छ. ऐसा कुछ हो जो राष्ट्रपति और न्यायपालिका की अखंडता पर लांछन लगाता हो;

ज. व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या कतिपय समूह, सामाजिक खंडों, देश के सार्वजनिक और नैतिक जीवन की आलोचना, निन्दा अथवा मिथ्यापवाद हो ;

झ. अंधविश्वास या अंधानुसरण को प्रोत्साहित करता हो;

अ. महिलाओं को अपमानित करता हो;

ट. बच्चों को अपमानित करता हो;

ठ. रूढ़िबद्ध बनाने वाले, उत्तेजित करने वाले, दूषित करने वाली शराब, नशीले पदार्थों और तम्बाकू सहित मादक पदार्थों के दुरूपयोग को यथावांछित तरीके से प्रस्तुत/चित्रित/सुझाता हो अथवा जातीयता, राष्ट्रीयता, वंश, लिंग, यौन प्राथमिकता, धर्म, आयु या शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को नीचा दिखाता, अथवा इनके खिलाफ घृणा उत्पन्न करता हो ।

(viii) लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है :

(क) धार्मिक भावनाओं का शोषण ; और

(ख) एक विशेष धर्म या धार्मिक वर्ग से संबंधित लोगों के धार्मिक विचारों या आस्था को ठेस पहुंचाना ।

6. **शास्ति का आरोपण/अनुमति करार का प्रतिसंहरण**

5 (i) से 5 (viii) में दी गयी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सरकार स्वप्रेरणा से या शिकायतों के आधार पर संज्ञान ले सकती है और उपयुक्त शास्तियों की सिफारिश करने हेतु कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता पर अन्तर-मंत्रालयीय समिति के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत कर सकती है । समिति की सिफारिश पर शास्तियों का आरोपण करने का निर्णय लिया जाएगा । तथापि, शास्ति का आरोपण करने से पहले अनुमति धारक को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाएगा ।

(ii) शास्ति में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) पहली बार उल्लंघन करने पर एक महीने की अवधि तक के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन का संचालन करने की अनुमति का अस्थायी रूप से आस्थगन ।

(ख) उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करते हुए दूसरी बार उल्लंघन करने पर तीन महीने की अवधि तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का संचालन करने की अनुमति का अस्थायी रूप से आस्थगन ।

(ग) तदनंतर उल्लंघन करने पर अनुमति का प्रतिसंहरण । इसके अतिरिक्त आई.पी.सी., सी.पी.सी. और अन्य कानूनों के तहत अनुमतिधारक और इसके मुख्य सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है ।

(iii) अनुमति का प्रतिसंहरण होने पर अनुमति धारक भविष्य में नई अनुमति लेने हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

" बशर्ते कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार आरोपित की गई शास्ति समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफ अधिनियम, 1993 सहित अनुप्रोज्य कानूनों के तहत किसी दांडिक कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना लगाई जाएगी ।"

(iv) पैरा 6 (ii) (क) और (ख) में यथाउल्लिखित अनुमति का आस्थगन होने पर अनुमति धारक, अनुमति मंजूरी करार करके तहत आस्थगन अवधि के दौरान भी अपने दायित्वों का निर्वाह करना जारी रखेगा ।

7. ट्रांसमीटर शक्ति और रेंज

(i) सी.आर.एस. द्वारा 5-10 किमी की रेंज को कवर किए जाने की आशा है । इसके लिए 100 वाट की अधिकतम प्रभावी विकिर्णित शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर पर्याप्त होगा । तथापि, एक प्रमाणित आवश्यकता के मामले में जहां आवेदक संगठन यह सिद्ध करने में सफल रहता है कि इसके द्वारा एक अधिक विस्तृत क्षेत्र की सेवा करने की आवश्यकता है अथवा भू भाग यह उचित सिद्ध करता है तो आवृत्ति की उपलब्धता और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी से यथा आवश्यक ऐसे अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्रों की उपलब्धता के अध्यधीन मामला-दर-मामला आधार पर 250 वाट तक अधिकतम प्रभावी विकिर्णित शक्ति वाले उच्चतर ट्रांसमीटर वाटेज पर विचार किया

जा सकता है । 100 वाट और 250 वाट तक के उच्चतर ट्रांसमीटर शक्ति हेतु अनुरोध भी सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में गठित समिति इस अनुमोदन के अध्यधीन होंगे ।

(ii) सी आर एस के लिए जमीन से ऊपर अनुमत एंटिना की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । तथापि, आर एफ विकिरणों के जैविक खतरों की संभावना से बचने के लिए जमीन से ऊपर एंटिना की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए ।

(iii) विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को अपने ट्रांसमीटर और एंटीना की अवस्थिति केवल अपने मुख्य परिसर में ही करने की अनुमति होगी ।

(iv) गैर सरकारी संगठनों और अन्य के लिए ट्रांसमीटर और एंटीना की अवस्थिति उस समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही होगी जिसमें वे प्रसारण करना चाहते हैं । आवेदन पत्र में ट्रांसमीटर और एंटीना की अवस्थिति के साथ भौगोलिक क्षेत्र (गांवों/संस्थान आदि के नामों सहित) का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए ।

8. निधीयन और संपोषण

(i) लाइसेंसधारक बहुपक्षीय सहायक एजेंसियों से निधीयन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा । सी आर एस की स्थापना करने हेतु विदेशी निधि की अपेक्षा करने वाले आवेदकों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत एफ सी आर ए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

(ii) जनहित की सूचना के प्रसारण हेतु, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रमों को छोड़कर प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, स्थानीय घटनाओं, स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं तथा रोजगार अवसरों से संबंधित सीमित विज्ञापनों और उद्घोषणाओं की अनुमति दी जाएगी । ऐसे सीमित विज्ञापनों की अधिकतम अवधि प्रसारण के प्रति घंटे 5 (पांच) मिनट तक सीमित होगी ।

(iii) पैरा 8 (ii) के अनुसार विज्ञापनों और उद्घोषणाओं से अर्जित राजस्व का प्रयोग केवल सी.आर.एस. के संचालनात्मक खर्चों और पूंजीगत व्यय के लिए ही किया जाएगा । सी.आर.एस. की संपूर्ण वित्तीय आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय से लिखित में पूर्वानुमति से अधिशेष का प्रयोग संगठन के प्राथमिक क्रियाकलाप अर्थात शैक्षिक संस्थाओं के मामले में शिक्षा के लिए तथा उन प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु, जिनके लिए संबंधित गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई थी, किया जाएगा ।

9. अन्य निबंधन एवं शर्तें

i) सामुदायिक रेडियो प्रसारण का मूल उद्देश्य कार्यक्रमों के प्रसारण में समुदाय के सदस्यों को शामिल करके अनुमतिधारक के सेवा क्षेत्र में समुदाय के लिए कार्य करना होगा । इस प्रयोजनार्थ, समुदाय का तात्पर्य अनुमतिधारक की प्रसारण सेवा के कवरेज क्षेत्र में रहने वाले लोगों से होगा । प्रत्येक आवेदक को भौगोलिक समुदाय अथवा समुदाय का हित, जिसे वह कवर करना चाहता हो, का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा । लाइसेंसधारी अपनी सेवाओं को फ्री-टु-एयर आधार पर उपलब्ध करवाएगा ।

ii) यद्यपि,अनुमतिधारक, हस्ताक्षरित अनुमति मंजूरी करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सेवा का परिचालन करेगा, तथापि अनुमति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि जब और जैसे भी देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने और इसकी मॉनीटरिंग करने हेतु किसी विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाता है तो अनुमतिधारक को ऐसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होगा ।

iii) अनुमतिधारक, सरकार को यथा आवश्यकतानुसार ऐसे अन्तरालों पर ऐसी सूचना उपलब्ध करवाएगा । इस संबंध में अनुमतिधारक के लिए पिछले तीन महीनों के दौरान प्रसारित कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना आवश्यक है जिसके न किए जाने पर लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है ।

iv) सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास अनुमतिधारक की प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने और जन और सामुदायिक हित में आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी सूचना को एकत्र करने का अधिकार होगा ।

v) सरकार के पास लाइसेंसधारी की समस्त सेवाओं और नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लेने अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध या कम प्रबलता के विरोध अथवा इस प्रकार की परिस्थितियों में लाइसेंस को रद्द/समाप्त/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है ।

vi) *अनुमतिधारक की सेवाओं के अधिष्ठापन, रखरखाव और परिचालन हेतु अनुमतिधारक द्वारा नियुक्ति, संविदा, परामर्श आदि के जरिए तैनात किए जाने वाले सभी संभावित विदेशी कार्मिकों के लिए पहले भारत सरकार से सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा ।*

vii) *सरकार आम जनता के हित में, या उचित रूप से प्रसारण करने के लिए अथवा सुरक्षा सरोकारों हेतु किसी भी समय निबंधन एवं शर्तों में, यदि यह आवश्यक हो तो, आशोधन करने का अधिकार रखती है ।*

viii) *अनुमति मंजूरी करार में कहीं भी कुछ भी समाविष्ट होने के निरपेक्ष, प्राकृतिक आपातकाल या जनहित अथवा प्राकृतिक विपदा और ऐसी ही स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकता का सामना करने के लिए यथा वांछनीय किसी भी विशेष संदेश का प्रसारण करने के लिए सरकार के पास अनुमति धारक को निदेश देने की शक्ति होगी तथा अनुमतिधारक के लिए ऐसे निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।*

ix) *अनुमतिधारक के लिए सी आर एस संचालित करने वाले संगठन/विभाग के संबंध में अपना लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । लेखाओं में सी आर एस के संबंध में आय और किया गया व्यय तथा परिसंपत्तियों एवं देयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ।*

x) *अनुमति करार सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा ।*

xi) सरकार, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, में विज्ञापनों की उच्चतम सीमा का अनुवीक्षण और प्रवर्तन करने हेतु विशेष व्यवस्था करेगी ।